कार्यालय,
परिषद् अतिरिक्त शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांक:– प्रशिक्षण/परिषद् सम्बद्धता/2024/1122 लखनऊ: दिनांक: 15-5-2024

–कार्यालय ज्ञाप–

अतिरिक्त आवश्यक व्यावसायी शिक्षा परिषद् द्वारा शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु विभिन्न व्यावसायिक व्यावसायी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उद्देश्य अतिरिक्त शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश लखनऊ में सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2024 को आयोजित अतिरिक्त शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद् कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2024-25 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/व्यावसायिक/प्रवेश क्षमता वृद्धि/कमी हेतु सत्र 2024-25 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुपालन में सम्बद्धता समिति की बैठक के पृष्ठ-17 में विभागीय द्वारा फर्जीवाड़े व्यावसायिक संस्थायें चलाई जाने वाली नई संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा पारित विचार-विमर्श का निम्नवत् निर्णय लिया गया –

> "ऐसी व्यवसायिक विभागीय द्वारा फर्जीवाड़े संस्थाएं जिन्हें सत्र 2024-25 हेतु एससीवीटीएफ द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, परन्तु पीएमकेवीवाई द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है, इस परिषद् की निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षणोपरान्त एससीवीटीएफ द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अनुकूल सत्र 2024-25 हेतु परिषद् से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है, के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि ऐसी संस्थाओं को पीएमकेवीवाई अनुमोदन जब प्राप्त हो जाने के पश्चात प्रवेश की प्रवेश के संबंध में बैठक आयोजित कर ली जाये जिससे संबंधित संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग में सम्मिलित कराया जा सके।"

उक्त निम्नानुसार संबंधित संस्था की परिषद् की निरीक्षण समिति एवं विचार-विमर्श द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के प्रकाश में अतिरिक्त शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2024-25 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उपरान्त अतिरिक्त प्रवेश प्रदान हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :–

क्रम सं0	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	एससीवीटीएफ/पीएमकेवीवाई द्वारा सत्र 2024-25 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद् द्वारा सत्र 2024-25 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संबंधित एससीवीटीएफ द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेंगी।
- ✓ संस्था प्रवेश प्रवेश अतिरिक्त शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा अतिरिक्त शिक्षा परिषद् नियमावली एवं उक्त अन्य विहित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा मूलभूत निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित मूलभूत सीट आदि इकाई पाठ्यक्रमों हेतु रू0 [illegible]/– प्रतिवर्ष, दो वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु रू0– [illegible]/– प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष का वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0– [illegible] प्रतिवर्ष मूलभूत ही प्रवेश प्रारंभ/पाठ्यक्रम में प्रवेश किया जायेगा। पाठ्यक्रम के अतिरिक्त प्रवेश/पाठ्यक्रमों के मूलभूत के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या– प्रशिक्षा/परिषद सम्बद्धता/2020/1021 लखनऊ: दिनांक: 14-8-2020

–कार्यालय ज्ञाप–

प्राविधिक सामान्य तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्यालय आचार्य इंजीनियर, नई दिल्ली द्वारा सैशन वर्ष 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को आयोजित प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ की बैठक में परिषद कार्यालय में विडियो कान्फ्रेन्स हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं की सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य नयी पाठ्यक्रम जोड़े जाने हेतु सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के पृष्ठ-5 में डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का उल्लेख किया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा उक्त विषय-बिन्दु का निम्नवत निर्णय लिया गया –

" निजी क्षेत्र में संचालित डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु फैसिलिटेटर द्वारा उनकी संस्थाएं अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में फैसिलिटेटर द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से फैसिलिटेटर द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 की उक्त सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्थाओं को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन सम्बद्धता एवं प्रवेश अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है –

क्रम संख्या	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	फैसिलिटेटर द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	फैसिलिटेटर /परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	[illegible]	[illegible]	डिप्लोमा इन फार्मेसी	[illegible]	[illegible]

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संबंधित [illegible]/फैसिलिटेटर द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेंगे।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट तथा उसके तहत प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 2004, संशोधित विनियमावली-2014 तथा अन्य निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेंगे। तथा मूल्यांकन नियामक समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इकाई पाठ्यक्रमों हेतु रू0 [illegible]/- प्रतिवर्ष तथा वार्षिक पाठ्यक्रम हेतु रू0 [illegible]/- प्रतिवर्ष एवं उक्त तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों एवं वार्षिक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हेतु रू0 [illegible] प्रतिवर्ष शुल्क से उपलब्ध साधन/भवन

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या - प्राविधि/परीक्षा सम्बद्धता/2021/10437 लखनऊ: दिनांक: 06/06/2021

आदेश प्राप्त:

अधीन भारतीय लकड़ी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय लकड़ी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश में सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक-[illegible] को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अधीन नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व के सम्बद्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि/ अधीन अन्य नगरों पर विस्तार करने हेतु सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उनकी अधिकतम प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2881 UNIVERSAL INSTITUTE OF PHARMACY VILL.RAJPURI KAWAZA,12 KM BARELLY DIBAI.PUR MARG,BAREILLY-243139

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	एन.आई.सी.टी.ई/ पी.सी.आई द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एन.आई.सी.टी.ई/पी.सी.आई द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् एक्ट, 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद् विनियमावली 1964, शैक्षणिक विनियमावली-2016 तथा अन्य समयांतर नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क (मेरा अधीन इकाई) पाठ्यक्रमों हेतु रूपए 30,000.00/- प्रतिवर्ष, दो अधीन अन्यत्र पाठ्यक्रम हेतु रू0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो अधीन पाठ्यक्रमों (दो अधीन कार्यशील पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क से अधिक पाठ्यक्रम के प्रारम्भ किए जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त पाठ्यक्रमों से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और यदि यदि कार्यालयों किया जाए अन्यथा होगा। शुल्क निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु शुल्क का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो शुल्क की भरपाई दो माह होगी।
- ✓ संस्था को उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा परिषदीय तथा अन्य परिषदीय संस्थाओं को सम्बद्ध किए जाना विनियमावली-2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार रिपोर्टिंग एवं सम्बद्धता शुल्क जमा कराना होगा।
- ✓ संस्था को एन.आई.सी.टी.ई/पी.सी.आई से अलग से हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी सभी विधिमान्य अधिसूचनाओं/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा,

कार्यालय

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या– प्राविशिक्षपरिषद संबद्धता/2022/10779 [illegible]

कार्यालय ज्ञाप।

[illegible] प्राविधिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रमों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश में संबद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक [illegible] को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अग्रेषित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्ण में संस्थापित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम, शैक्षिक प्रवेश पूर्ति सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता का आवंटन फार्मेसी काउंसिल द्वारा अनुमोदित प्रवेश क्षमता के अनुसार सीमित कर दिया गया है।

फार्मेसी काउंसिल के पत्र कार्यालय संख्या [illegible] दिनांक [illegible] के संलग्न [illegible] में उपलब्ध संस्थाओं से पूर्व में प्रेषित कमियों के निराकरण का विवरण एवं लाईसेंस पत्र अपलोड करते हुए निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए पत्र निर्देशों के अनुपालन में इन संस्थाओं के संबंध में तैयार सहायक की गई शैक्षिक प्रवेश की सम्बद्धता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि संस्थान में संचालन के निरीक्षण के समय एवं लाईसेंस का आवंटन करना होगा।

संस्था का कोड एवं नाम : 2081-UNIVERSAL INSTITUTE OF PHARMACY

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	फार्मेसी काउंसिल द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु प्रदत्त संबद्धित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ [illegible] फार्मेसी काउंसिल द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संबद्ध उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा [illegible] तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद डिप्लोमाकोर्सेज [illegible], डिप्लोमाकोर्सेज-2020, सर्टिफिकेट डिप्लोमाकोर्सेज-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क (दो वर्षीय इकाई पाठ्यक्रमों हेतु रू0 [illegible]/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कम्पोजिट पाठ्यक्रम हेतु रू0- [illegible]/- प्रतिवर्ष तथा एक वर्ष की वर्षीय पाठ्यक्रमों, दो वर्षीय कम्पोजिट पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0-[illegible]/- प्रतिवर्ष शुल्क की प्रतिपूर्ति छात्रों/छात्राओं से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रों/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समाचार-पत्र पर माध्यम द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। यदि निर्धारित समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु शुल्क का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो शुल्क की वसूली उसी के अनुसार की जायेगी।
- ✓ संस्था में संबद्ध प्रवेश क्षमता परिषद द्वारा अवंटित प्रवेशों की ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था की आवश्यकता का निर्गत शासनादेश के अनुसार निर्धारित एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ शासन-उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ प्रदेश परिषद परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का सम्बद्धता/फार्मेसी काउंसिल/फार्मेसी काउंसिल से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में संस्थान उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ प्रदेश परिषद परिषद,

भारतीय

चिकित्सा, आयुर्विज्ञान शिक्षा परिषद

[illegible]

पत्रांक:- [illegible]

पत्रांक [illegible], दिनांक: [illegible]

अनापत्ति पत्र

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान शिक्षा परिषद् एवं भारतीय चिकित्सा अधिनियम, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व में मान्यता प्राप्त निम्नांकित फार्मेसी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन निरस्त प्रदान किए जाने के उपरान्त आयुर्विज्ञान शिक्षा परिषद्, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता निरस्त प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में [illegible] दिनांक [illegible] एवं दिनांक [illegible] की परिषद् कार्यालय से सम्बद्धता समिति की बैठक [illegible] हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान शिक्षा परिषद् भारतीय चिकित्सा अधिनियम, नई दिल्ली द्वारा मान्य की गई [illegible] अनुमोदन निरस्त एवं सम्बद्धता समिति द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में संस्थान की सम्बद्धता निरस्त प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

- सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में निम्न संस्था का आयुर्विज्ञान शिक्षा परिषद्, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु [illegible] के अखिल भारतीय चिकित्सा एवं उसकी अखिल प्रवेश प्रक्रिया हेतु सम्बद्धता निरस्त प्रदान की जाती है।

संस्था का पंजीकृत नाम : 2001 UNIVERSAL INSTITUTE OF PHARMACY

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	सम्बद्धता/[illegible] द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद् द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
		(क)	(ख)
1	DIPLOMA IN PHARMACY		

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ आयुर्विज्ञान शिक्षा, अनुमोदन तथा मान्यता संबंधित [illegible] दिनांक [illegible] नई दिल्ली द्वारा पूर्व में संबंधित [illegible] संस्थानों की [illegible] के लिए [illegible] संस्थान [illegible] के अधीन सम्बद्धता निरस्त की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय चिकित्सा शिक्षा परिषद्/भारतीय चिकित्सा अधिनियम, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय चिकित्सा शिक्षा परिषद्/भारतीय चिकित्सा अधिनियम, नई दिल्ली के मानक के अनुसार संस्थान में अपेक्षित संसाधन (भूमि, भवन, शिक्षक, उपकरण, आदि) उपलब्ध है।
- ✓ संस्था द्वारा प्रवेश आयुर्विज्ञान शिक्षा परिषद् एवं [illegible] आयुर्विज्ञान शिक्षा परिषद् विनियमावली [illegible], विनियमावली [illegible], विनियमावली [illegible] तथा [illegible] के नियमों का अनुपालन करेगी तथा मूल्यांकन नियंत्रण समिति द्वारा निर्धारित मूल्यांकन की प्रक्रिया कार्यालय के द्वारा किया जायेगा। उपरोक्त [illegible], अखिल भारतीय [illegible] के मूल्यांकन के उपरान्त ही संस्था द्वारा [illegible] द्वारा निर्धारित शिक्षकों की संख्या [illegible] प्रवेश [illegible] द्वारा [illegible] सत्र 2023-24 हेतु [illegible] का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो परिषद की [illegible] तथा [illegible] होगा।
- ✓ संस्था में मान्यता प्राप्त परीक्षा परिषद् द्वारा अनापत्ति मानने की ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को [illegible] के निर्देश [illegible] के अनुसार [illegible] एवं सम्बद्धता मानक [illegible] होगा।
- ✓ संस्थान द्वारा प्रवेश [illegible] द्वारा निर्गत [illegible] [illegible] द्वारा निर्धारित, [illegible] शिक्षा, [illegible], अनुमोदन एवं मान्यता परिषद्, [illegible] तथा [illegible] शिक्षा परिषद्, [illegible] द्वारा [illegible] एवं निर्धारित [illegible], [illegible], [illegible] का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का अखिल भारतीय चिकित्सा शिक्षा परिषद्/भारतीय चिकित्सा अधिनियम, नई दिल्ली से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो मूल संस्था से सम्बद्ध [illegible] संस्था का मूल्यांकन और निरीक्षण [illegible] के निर्देशों के अनुसार [illegible] आयुर्विज्ञान शिक्षा परिषद्, अनुमोदन एवं मान्यता परिषद्, आयुर्विज्ञान शिक्षा निदेशालय एवं आयुर्विज्ञान शिक्षा विभाग [illegible] संस्था संचालन के विरुद्ध यदि कोई [illegible] किया जाता है तथा मूल्यांकन के संबंध में [illegible] द्वारा निर्गत प्रकरण की प्रोन्नति संबंधी अखिल निर्णय किया जाता है तो सम्बद्ध प्रोन्नति संबंधित संस्था की जायेगी होगी।
- ✓ संस्थान की मान्यता प्रवेश परीक्षा परिषद्, उ०प्र० प्रवेश [illegible] द्वारा प्रवेश [illegible] के लिए अनापत्ति प्रवेश परिषद् हेतु आयुर्विज्ञान [illegible] होने के पूर्व अखिल भारतीय चिकित्सा शिक्षा परिषद्/भारतीय चिकित्सा अधिनियम, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त का परिषद् कार्यालय की उपलब्ध कराना होगा अन्यथा पूर्व प्रवेश की अनुमोदन प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उपरा प्रवेश [illegible] द्वारा प्रवेश हेतु [illegible] पर निर्गत [illegible] आयुक्त निदेशालय का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- ✓ संस्था को अपने सम्बद्धता तथा प्रतिवेदन शिक्षा के मूल्यांकन रिपोर्ट एवं संस्था की समस्त मूलभूत जैसे संस्था की [illegible] पुस्तकें, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] शिक्षा [illegible] तथा मूल्य, [illegible] मूल्य आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।